

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 475] No. 475] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2015/फाल्गुन 12, 1936

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2015/PHALGUNA 12, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2015

का,आ. 650(अ).—यत: दिल्ली के मास्टर प्लान में अधोउल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कितपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 मई, 2014 की सं का. आ. 1358 (अ) की सार्वजिनक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित आपित्तयां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित कोई भी आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे; और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन

जोन-जी में आने वाले सी-2 ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली के निम्निलिखित क्षेत्र के भूमि उपयोग को निम्निलिखित वर्णन के अनुसार परिवर्तित किया गया:

1027 GI/2015 (1)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं अवस्थिति	दि.मु.यो-2021 के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग	भूमि उपयोग परिवर्तन के बाद प्रस्तावित भूमि उपयोग	क्षेत्र की सीमाएं
1.	ब्लॉक सी-2 जनकपुरी (डाबडी मोड़) स्थित पॉकेट 1 (5215.51 वर्ग मीटर)		'परिवहन (टी 3- एम.आर.टी.एस. परिचालन)'	उत्तर: सर्विस रोड़ पूर्व डी.एम.आर.सी. अस्थायी पश्चिम: ढ़का हुआ नाला दक्षिण: सर्विस रोड़
2.	ब्लॉक सी-2 जनकपुरी (डाबडी मोड़) स्थित पॉकेट 2 (2541.89 वर्ग मीटर)		'परिवहन (टी 3- एम.आर.टी.एस. परिचालन)'	उत्तर: डी.एम.आर.सी. अस्थायी भूमि पूर्व: पंखा राेड़ पश्चिम: ढ़का हुआ नाला दक्षिण: सर्विस राेड़

[फा. सं. के-13011/13/2014-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2015

- **S.O. 650(E).**—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 1358(E) dated 23rd May, 2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of said notice.
 - 2. No objection/suggestion were received with regard to the proposed modifications, and
- 3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of following area at C-2 Block, Janak Puri, New Delhi falling in Zone-G is changed as per description listed below:

Sl. No	Area & Location	Existing land use as per MPD-2021	Proposed land use after Land use change	Boundaries of the area
1.	Pkt. 1(5215.51 sq.m.) at Block C-2, Janak Puri (Dabri Mor)	'Recreational (P2 District Park)	'Transportation (T3-MRTS Circulation)'	North: Service Road East: DMRC Temporary West: Covered Drain South: Service Road
2	Pkt. 2 (2541.89 sqm) at Block C-2, Janak Puri (Dabri Mor)	*	'Transportation (T3-MRTS Circulation)'	North: DMRC Temporary land East: Pankha Road West: Covered Drain South: Service Road

[F. No. K-13011/13/2014-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy